लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
दूरभाषः 0755–2583650, फैक्सः 2583651, ई–मेलः **coord-dpi@mp.gov.in**

भोपाल, दिनांक 11.5.18

क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 87

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः–दिनांक 14 मई 2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग की सूचना एवं अतिरिक्त ऐजेन्डा बिन्दु।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र कमांक / समन्वय / बी / 2018 / 83–84 दिनांक 08.05.2017 एवं पत्र कमांक / समन्वय / बी / 2018 / 85–86 दिनांक 08.05.2107

विषयान्तर्गत लेख है कि संचालनालय के संदर्भित पत्रों द्वारा दिनांक 14 मई 2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में चर्चा हेतु नवीन संशोधित स्थाई ऐजेन्डा बिन्दु एवं अतिरिक्त ऐजेन्डा बिन्दु जारी किए गए हैं।

इन बिन्दुओं के अतिरिक्त दिनांक 14 मई 2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में संलग्न ऐजेन्डा बिन्दुओं पर माननीय मंत्रीजी द्वारा समीक्षा की जायेगी।

कृपया आवश्यक जानकारी के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग में निर्धारित समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें। संदर्भित पत्रों द्वारा जारी शेष निर्देश यथावात रहेगें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

11/5/18
(धीरेन्द्र चतुर्वेदी)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 88

भोपाल, दिनांक 11.5.18

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. वरिष्ठ निज सहायक,अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) लोक शिक्षण (स्थानीय)।
8. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक लोक शिक्षण (स्थानीय) मध्यप्रदेश।
9. संचालक, राज्य ओपन स्कूल मध्यप्रदेश।

10. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल कृपया वीडियो कान्फ्रेसिंग में सहभागिता करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश देने का कष्ट करें।

11. श्री मयंक नागर, प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन बेसमेंट, भोपाल।

11 समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, की ओर चर्चा के बिन्दु के संबंध में कक्षवार जानकारी का फोल्डर अनिवार्य रूप से समन्वय कक्ष को उपलब्ध कराना एवं वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान समय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

12 उप संचालक, भण्डार स्थानीय।

13 श्री हरिज्ञान शर्मा, वरिष्ठ निज सहायक स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/5/18

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

दिनांक 14.05.2018 को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग के चर्चा हेतु बिंदु

समय–सायं 04.00 से 05.30 बजे

01. कुल 41 जिला मुख्यालयों पर प्रारंभ किये जा रहे उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रावासों हेतु किराये के भवन के संबंध में जिलेवार जानकारी पर चर्चा।

02. विद्यालयों में रंगाई–पुताई की अद्यतन स्थिति पर चर्चा।

03. दिनांक 07.02.2018 को आयोजित जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक के दौरान निर्देश दिये गये थे कि ओपन स्कूल के कार्यालय हेतु जिला मुख्यालय पर 01 स्कूल आवंटित किया जाना है, के संबंध में जिलेवार उपलब्ध कराये गये स्कूल के संबंध में जानकारी पर चर्चा।

04. विद्यालयों में रिक्त सहायक ग्रेड–03/कम्प्युटर ऑपरेटर जैम पोर्टल के माध्यम से रखे जाने के निर्देश आयुक्त, कार्यालय द्वारा दिये गये है। कृत कार्यवाही से जिले वार समीक्षा।

05. साईकिल वितरण के निर्देश 31.03.2018 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। अद्यतन स्थिति में जिलेवार वितरण की समीक्षा।

06. तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ वार्डन को कार्यमुक्त कर उनके स्थान पर नवीन वार्डन की पदस्थापना के संबंध में चर्चा।

07. ओपन स्कूल के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सस्ती अभ्यास पुस्तिकाऐं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा।

08. समस्त शासकीय विद्यालयों में एकसमान गणवेश का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में चर्चा।

09. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित छात्रावासों में मेस व्यवस्था इसी सत्र् से आउट सोर्स के आधार पर किये जाने के संबंध में चर्चा।

10. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदेश के अधिकांश विद्यालयों में फर्नीचर प्रदाय किया गया है। उपलब्धता की पुष्टि हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों से चर्चा।

11. नवीन शिक्षा सत्र् में समस्त छात्रावासों में किचन गार्डन तैयार किये जाने के संबंध में चर्चा।

12. समस्त विद्यालयों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण की तैयारियों को लेकर चर्चा।

13. मार्डेल स्कूल की जमीन का सीमांकन अनिवार्यतः 31मई तक कराये जाने के संबंध में चर्चा।

14. शासन् द्वारा आदेश जारी किया गया है कि नवीन शिक्षा सत्र् से समस्त शिक्षक गण निर्धारित परिधान (जैकेट) तथा राष्ट निर्माता की नाम पट्टिका लगाकर विद्यालय आयेंगें। उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करवाये जाने के संबंध में चर्चा।

15. दिनांक 07 फरवरी 2018 को आयोजित जिला शिक्षा अधिकारी की बैठक में निर्देश दिये गये थे कि जिला शिक्षा अधिकारी अपने–अपने जिलों में शहीद सैनिकों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगें ताकि उन स्थानों के स्कूलों का नाम उनके नाम से किया जाकर सच्ची श्रध्दांजलि अर्पित की जा सकें, के संबंध में जिलेवार जानकारी पर चर्चा।

16. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम की माध्यमिक शालाओं के कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों को मार्डेल स्कूल अथवा उत्कृष्ट विद्यालयों में अनिवार्यतः प्रवेश दिया जाना है, के संबंध में चर्चा।

17. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा जारी परीक्षा परिणाम पर चर्चा। तथा असफल रहे विद्यार्थियों को रूक जाना नही योजना अंतर्गत ओपन स्कूल के माध्यम से अगामी माह जून में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने पर चर्चा।

18. 16 फरवरी 2018 को कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों के लिये आयोजित कैरियर काउसिलिंग के निष्कर्ष के आधार पर कक्षा दसवीं उत्तीर्ण समस्त विद्यार्थियों को उनकी अभिरूचि अनुसार काउंसिल कर प्राथमिकता के आधार पर विषय चयन के संबंध में चर्चा।

19. विद्यालय के प्रारंभ होने के दिवस ही रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था अनिवार्यतः हो जावें ताकि विद्यार्थी विषय विशेष की पढाई से वंचित न हो, के संबंध में चर्चा।

20. निर्देश दिये गये थे कि विद्यार्थी परीक्षा परिणाम के समय अपनी अपनी पाठ्य पुस्तके विद्यालय में जमा करायेंगें। ताकि उनका उपयोग अगामी सत्र् में नये बच्चों के लिये किया जा सकें। उक्त निर्देश के अनुक्रम मे जिलेवार कक्षावार संग्रहित पाठ्य पुस्तकों की जानकारी के संबंध में चर्चा।